

2575-II/2004  
2575-II/2004


सत्यनारायण तिवारी उम्र 42 वर्ष, अत्मज श्री रामेश्वरपसाद तिवारी  
जनपद सदस्य बाबई, जाति ब्राम्हण, निवासी-ग्राम खरगावली,  
तहसील- बाबई, जिला- होशंगाबाद म०प्र० ----- पुनिरिक्षणकर्ता

बनाम

1. श्री अरुण कुमार पारासर आयु लगभग 40 वर्ष, अत्मज श्री अवधनारायण जाति ब्राम्हण, निवासी-ई-2, 283, अरेरा कालोनी भोपाल तहसील व जिला भोपाल।
2. श्रीमति नम्रता पारासर पत्नी श्री अरुण पारासर मृत के उत्तराधिकारीगण-

- अ - अनुप्रिया नाबालिग
- ब - अम्बर नाबालिग
- स - अलंकार नाबालिग

क्रमांक अ ब, स, द्वारा प्राकृतिक संरक्षक पिता अरुण कुमार पारासर सभी निवासी ई.-2, 283 अरेरा कालोनी भोपाल तहसील व जिला भोपाल म०प्र० ----- उत्तरदातागण



आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50, म०प्र० भू० र० संहिता 1959.

पुनिरिक्षणकर्ता निम्नानुसार विवेदन करता है :-

पुनिरिक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग भोपाल के द्वारा प्रकरण क्रमांक-2-अ-03-04 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2003 पक्षकार अरुण कुमार पारासर व अन्य विरुद्ध सत्यनारायण व शासन में पारित आदेश दिनांक 11.10.2003 जो कि आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5, परिसीमा अधिनियम एवं धारा 47 म०प्र० भू० र० स० पर पारित आदेश दिनांक 10.11.2003 से दुखी व क्षुब्ध होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर पुनिरिक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है 1- पुनरीक्षण याचिका

निर्दिष्ट-समस्यायदि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including names like 'अनुप्रिया' and dates like '21-5-08'.


क्रमांक 1672, लेटर्स पोस्ट द्वारा आज तांक 19-4-04 को प्राप्त

बलरक ऑफ कोर्ट जस्टिस मण्डल न.प्र. ग्वालियर

1.9.2015

अमेरिका की ओर से श्री आर  
डी शर्मा आयोग के अमेरिका  
की ओर से श्री एन.के. श्रीवास्तव  
आयोग उपस्थित। यह निगामी  
आयुक्त डाटा पालि बेलीस आदेश के  
विरुद्ध के प्रत्युत की गई है। अंत  
आयुक्त डाटा प्रकाश का आदेश निगामी  
का दिव्य ज्ञान से यह निगामी निगामी  
होने से निरस्त की जाती है।



  
अध्यक्ष